संजय बनाम प्रभुदयाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्र०पत्र अस्थाई नि०आ० सं. 12/2025	
07.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 21.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
21.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 27.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
27.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
03.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 05.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
05.06.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। जिसमें वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से बहस में भाग नहीं लिये जाने से बहस शून्य रही। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

— लगातार —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	[illegible]

हुए अवगत कराया कि बादस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2060 रकबा 0.77 हैक्टर तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रत्येक का जन्मात 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में प्रार्थीगण के दादा तिलोका के नाम दर्ज थी तथा उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण के पिता प्रहलादराम के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीगण का पिता अप्रार्थी नम्बर 1 काफी झगड़ालू व गैर जिम्मेदार व्यक्ति होने से प्रार्थीगण के साथ शुरू से ही झगड़ा व क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता आ रहा है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमियों को पूर्व में अलग से मौके पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त कर अपना जीवन का उपार्जन कृषि भूमि से करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता ने शराब के नशे मे प्रार्थीगण की उक्त पैतृक भूमि को अप्रार्थी नम्बर 2 को बैचान कर दी जिसका अप्रार्थी सं. 1 को कोई हक नहीं है। उक्त भूमि में अप्रार्थी नम्बर 1 का बैचान हिस्सा 1/4 ही निहित होने से जबरन अप्रार्थीगण के पैतृक हिस्से को भी दिनांक 21.03.2024 को अप्रार्थी सं. 2 को बैचान कर दिया जो प्रारम्भतः अवैध व शून्य है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के प्यारेलाल बनाम् रामेश्वरलाल के निर्णयानुसार उक्त विक्रय लेख को निरस्त कराने से पूर्व उक्त भूमि के प्रार्थीगण के पैतृक हक हिस्से की घोषणा करवाया जाना आवश्यक होने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा मे पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमियों को अपनी स्वंय की मेहनता व रूपये लगाकर उन्नत एंव उपजाउ बनाकर समतल किया है। अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीगण के पिता अपने पितै कर्त्तव्यो से विमुख होकर पैत्रक सम्पदा होने से खातेदारी नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर [illegible] भूमियों को अप्रार्थी नं. 2 को बैचान कर दी [illegible] बेदखल करने की धमकी दे रहे है तथा [illegible] भूमियों की मौके की स्थिति बदल दी गई है तथा मौके पर भूमि [illegible] मे से जे0 सी0 बी0 ट्रोली लगाकर मिट्टी उठा दी गई है तथा अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा दिनांक 27.11.2024 को उक्त कृषि भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करवाकर कॉलोनी विकसित कर प्लॉट काटकर बेचान करने तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	संजय बनाम [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा० पत्र अस्थाई [illegible] 12/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक होने पर पेश किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त बसूखी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी सं. 2 ने अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 21.03.2024 को अप्रार्थी सं. 1 से खरीद करने से खातेदारी भूमि है। जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 एक सद्भाविक क्रेता है। जिसने अप्रार्थी संख्या 1 को भारी प्रतिफल राशि देकर भूमि को खरीद की गई है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज एकल खातेदारीशुदा भूमि को स्वंय द्वारा अपने समस्त परिजनों की सहमति से भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से किया जाकर मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा सम्भलाया जा चुका है। जिस पर अप्रार्थी सं. 2 ने चारो तरफ सीमेन्ट के पोलों की तारबन्दी कर अपनी भूमि को सीमाओं से सुरक्षित कर रखा है व मौके पर भूमि को समतल करने पर लाखों रूपये खर्च कर दिये है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपस में मिलीभगत कर अप्रार्थी सं. 2 पर दवाब बनाकर रूपये ऐठनें हेतु झूठें व मनघड़न्त तथ्य दर्ज कर वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की गई है जो कतई चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई शराब के नशे में बेचान नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में तस्दीक विक्रय लेख दिनांक 21.03.2024 के अनुसार वर्तमान खातेदारी अप्रार्थी [illegible] मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा प्राप्त कर भूमि पर [illegible] काबिज होने से अप्रार्थी सं. 2 खातेदार काश्तकार है। जिसको उक्त भूमियों का सम्पूर्ण उपयोग–उपभोग आदि का सर्वाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध कोई सहायता न्यायालय से प्राप्त करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

इन्द्राज बनाम प्रहलादराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा०पत्र अस्थाई निषे० दिनांक .../2025

कानूनन अधिकारी नहीं है एवं ना ही काबिज खातेदार काश्तकार व्यक्ति को कानून किसी भी प्रकार से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तस्दीक करवाये गये विक्रय लेख को अवैध व शून्य घोषित करवाये जाने का कोई हक अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, ना ही कोई अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होती है। वर्तमान मे जमीनो की कीमते काफी बढ जाने से प्रार्थीगण के मन में बेईमानी व लालच आ जाने से अप्रार्थी संख्या 2 पर दबाव बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् को ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की दो जमाबन्दियॉ, 2044, खसरा नक्शा व जमाबन्दी, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रमाणांकन के लिए पर्चा नोटिस व रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 21.03.2024 की फोटोप्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.7700 हैक्टर की खातेदारी पूर्व में प्रहलादराम पुत्र तिलोका जाति मेघवंशी के नाम होना तथा उक्त खातेदार प्रहलाद राम के द्वारा उक्त भूमि का बैचान सुरेन्द्र पुत्र सुवालाल जाति बलाई को रजिस्टर्ड विक्रय लेख के द्वारा किये जाने पर खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रमाणांकन के लिए पर्चा नोटिस भी तिलोका पुत्र भूराराम मेघवंशी सा. ... के नाम जारी होना तथा जमाबन्दी सम्वत् ... में ... तिलोका पुत्र भूराराम मेघवंशी सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिससे उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 प्रहलाद राम को अपने पिता तिलोका से जरिये विरासतन प्राप्त होने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक भूमि होना राजस्व रिकार्ड से प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

–लगातार–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

[illegible]

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के द्वारा किया जाना प्रमाणित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के पैत्रृक भूमि होने व प्रार्थीगण के अप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र/पुत्री होने से उक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीगण का हित निहित होना प्रथम दृष्टवा प्रतीत होता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को किये जाने एंव उक्त बेचान में प्रार्थीगण की सहमति बतौर विक्रय लेख पर हस्ताक्षर नहीं होने से वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीगण का हित प्रभावित होना प्रतीत होता है।

इस प्रकार प्रार्थीगण का वादग्रस्त विरासतन पैत्रृक भूमि में प्रथम दृष्टवा हित निहित होने व दावें में उनका हक अधिकार तय होने से प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होने व इससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना भी प्रकट होता है। जिसके लिए अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि के भविष्य में होने वाली खरीद फरोख्त को नियत्रिंत करने व वाद बाहुल्यता को बढने से रोकने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

—:: कियात्म[illegible] ::—

अतः ऐसी स्थिति में प्र[illegible]ण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

संजय बनाम प्रहलाद राम

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रा० पत्र अस्थाई निषे० मु.नं. 12/2024

तथा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.77 हैक्टर तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का विक्रय या अन्तरण नहीं करे तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वादपत्र के निस्तारण तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested